JUBILANT INDUSTRIES

August 28, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 533320

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

Symbol: JUBLIND

Subject: Publication of information regarding 18th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 23, 2024 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means

Dear Sir(s),

This is to inform you that the 18th Annual General Meeting **('AGM')** of Jubilant Industries Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, September 23, 2024 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

The Notice of the 18th AGM of the Company along with the Annual Report for the Financial Year 2023- 24 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company, Registrar and Transfer Agent, or Depository Participants and will also be available on the Company's website at www.jubilantindustries.com , in due course.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of advertisements published today, i.e., August 28, 2024, in Mint (English) and Hindustan (Hindi), in accordance with the circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India.

This is for your information and records.

Thanking you,
For **Jubilant Industries Limited**

BRIJESH KUMAR
Digitally signed by BRIJESH KUMAR
Date: 2024.08.28 17:38:44 +05'30'

Brijesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

Jubilant Industries Limited
Plot. No. 15, Knowledge Park II
Greater Noida, Distt, Gautam
Budh Nagar - 201 306, UP, India
Tel: +91 120 7186000
Fax: +91 120 7186140
www.jubilantindustries.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt Amroha-244 223
UP, India
CIN: L24100UP2007PLC032909
Email: investorsjil@jubl.com

Sony, Zee smoke peace pipe after lengthy row

Non-cash settlement allows both entities to move on independently

Lata Jha & Gaurav Laghate
NEW DELHI/MUMBAI

After protracted court battles over a $90 million termination fee stemming from their failed merger, Sony Pictures Networks India (now Culver Max Entertainment) and Zee Entertainment Enterprises Ltd decided to resolve their disputes amicably through a non-cash settlement, allowing both parties to move on independently.

On 22 January, Sony terminated the merger cooperation agreement and the composite scheme of arrangement originally signed on 22 December 2021. Sony immediately sought $90 million (around ₹748.5 crore) in termination fees, filing an appeal with the Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Zee responded by filing an appeal with the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal (NCLT), contesting Sony's decision to call off the merger and disputing the termination fee. Zee also initiated legal action to contest the $90 million termination fee.

A breakthrough was announced on Tuesday, just a day after Gaurav Banerjee took over as the managing director and CEO of Sony in India. In a joint statement, the two companies revealed they had reached a "comprehensive non-cash settlement, amicably resolving all disputes".

Shares of Zee climbed as much as 15% on the BSE, before closing at ₹150.86, up 11.45% from their previous close. Zee shares have fallen over 40% in the last year that has seen the acrimonious separation from Sony.

Under their agreement, both companies will withdraw their claims from SIAC and end all related legal proceedings in the NCLT and other forums.

Earlier, Zee had disclosed incurring ₹432 crore in merger-related costs during FY23 and FY24. In FY24, the company's consolidated net profit stood at ₹141.43 crore, , while consolidated income was ₹8,766.48 crore. The company also took cost-cutting measures, including a 15% reduction of the workforce.

₹748.5 cr
Termination fee that stemmed from the failed merger

Sony on Monday appointed Gaurav Banerjee, former head of Hindi entertainment at Star India, after N.P. Singh, who was with the company for 25 years, stepped down from the position in May.

Sony's GEC (general entertainment channel) ratings have been less than impressive lately, with the company having placed too many bets on non-fiction. Its presence in sports and regional programming is hardly significant and its movie vertical hasn't ever made news.

The firm claims it is betting big on its digital business with the fast growth of its streaming platform SonyLIV but much of Sony's content is available for free on YouTube and takes away from paid subscriptions.

Sony had argued that it had to call off the merger because Zee failed to meet specific financial thresholds and other pre-conditions outlined in the agreement. Despite receiving approval from the NCLT for the merger on 10 August last year, the deal collapsed when Zee couldn't fulfil the necessary conditions.

"After more than two years of negotiations, we are extremely disappointed that the closing conditions of the merger were not satisfied by the end date," Sony said at the time, demanding the termination fee. Zee's board denied any "alleged breaches" and vowed to fight the claim.

Tuesday's joint statement now closes the chapter on what could have been India's largest media merger, potentially creating a $10 billion giant.

gaurav.laghate@livemint.com

Read an extended version of this story at livemint.com.

The settlement stems from a mutual understanding between the companies to independently pursue future growth opportunities, a joint statement read. REUTERS

'RCap to be rebranded under IndusInd'

Priyanka Gawande
priyanka.gawande@livemint.com
MUMBAI

The Hinduja-owned IndusInd International Holdings Ltd (IIHL) clarified before the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) on Tuesday that following the takeover of the insolvent Reliance Capital (RCap), the company will be rebranded under the 'IndusInd' name.

"The Hindujas have no desire whatsoever to carry on business under the brand 'Reliance'. We are anxious that the transition should be done as quickly as possible... because we want to leave this baggage of using the 'Reliance' brand behind," Venkatesh Dhond, senior counsel appearing for the Hindujas, said.

"However, the implementation process will take time. In case ADAVL's (Anil Dhirubhai Ambani Ventures Ltd) concern is that we (Hindujas) will run the company under the Reliance brand, it is factually misconceived," Dhond added.

A bench led by justices Virendrasingh G. Bisht and Prabhat Kumar was hearing a plea filed by the Anil Dhirubhai Ambani group seeking to restrain IIHL from using the brand name 'Reliance'.

The bench gave the parties two days to file written submissions and posted the matter for hearing on 3 September.

The dispute arises from a brand licensing agreement of April 2014 that was signed between ADAVL and RCap for 10 years. However, the agreement ended in April this year.

ADAVL is seeking a recall of a portion of the NCLT's 27 February order that allowed IIHL to take over RCap for a bid worth ₹9,861 crore. This portion pertains to Reliance Capital's use of the 'Reliance' brand. The NCLT has said IIHL can use the brand for three years while the resolution plan is implemented.

"To make a transition from Reliance Insurance, since there are various other financial services companies under Reliance Capital, millions of policyholders, and galore of permissions required, every single product requires Irdai (Insurance Regulatory and Development Authority) approval. This transition will have to be across the board, which will require time. So, the mark or the brand that will be used will only be for the ongoing transition that is taking place, Dhond added.

The counsel for ADAVL argued that the implementation could go on for three years and that didn't mean IIHL could be allowed to use the brand for free.

ADAVL petitioned before the court that the agreement ended on 1 April this year, and following the expiry of the agreement, RCap's right to use the brand has ceased. "There is no provision in law, whether under the IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) or otherwise by which NCLT can revive an agreement which has expired...," said the counsel for ADAVL.

The dispute arose from a brand licensing agreement of April 2014 that was signed between ADAVL and RCap for 10 years. REUTERS

Airtel users to get exclusive Apple access

Gulveen Aulakh
gulveen.aulakh@livemint.com
NEW DELHI

Bharti Airtel will shut down its music streaming app Wynk Music and transition its users to Apple Music, India's second largest telecom services provider told *Mint*.

"We can confirm that we will sunset Wynk Music. Airtel users will have access to Apple Music. Additionally, Wynk Premium users will receive exclusive offers from Airtel for Apple Music," an Airtel spokesperson said in response to queries on Tuesday.

All Wynk music employees will be absorbed within the Airtel ecosystem, the carrier added.

The move would entail transitioning millions of users from Wynk to Apple Music, which will make the US-based music streaming service a larger competition to its rivals Spotify, JioSaavn, Amazon Music and others. In India, Swedish music streaming service Spotify led with a 26% share of all streams, as per a report by Redseer Strategy Consultants as of March 2023.

Bharti Airtel will shut down its music streaming app Wynk Music and transition its users to Apple Music

Wynk Music had crossed 100 million downloads on Google's Play Store. Music streaming has an audience of approximately 185 million in India, but only around 7.5 million paid for a subscription, according to a Ficci-EY 2024 report on the entertainment industry.

The decision to shut down Wynk follows a strategic partnership between Bharti Airtel and Apple Inc, where Airtel users will be able to access AppleTV+ and Apple Music through premium wi-fi and postpaid plans in the coming months. People aware of the development said that the partnership will also onboard Airtel prepaid customers over time, even as they begin with postpaid and wifi or fibre broadband users.

"Airtel offers a one stop shop to bring all content and entertainment through Airtel Xstream," Amit Tripathi, chief marketing officer and executive vice president customer experience for Bharti Airtel, said on the announcement.

"This partnership with Apple will provide immense value to our customers since they will now have access to the best content and entertainment globally."

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
YEIDA FUTURE IS HERE
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1 (पी–2), ग्रेटर नौएडा,
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक: वाई.ई.ए./भूलेख/त0–HPS/118/2024 दिनांक: 27/08/2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आबादी भूमि आबंटन विनियमावली के अनुसार ग्राम गुनपुरा के 173.2300 हे0 अधिग्रहीत के सापेक्ष 07 प्रतिशत (आबादी भूखण्ड) दिनांक 28.08.2024 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में पूर्वाहन 3:00 बजे को किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है तथा ड्रा कि अग्रिम तिथि का प्रकाशन पुनः किया जायेगा।

डिप्टी कलेक्टर
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

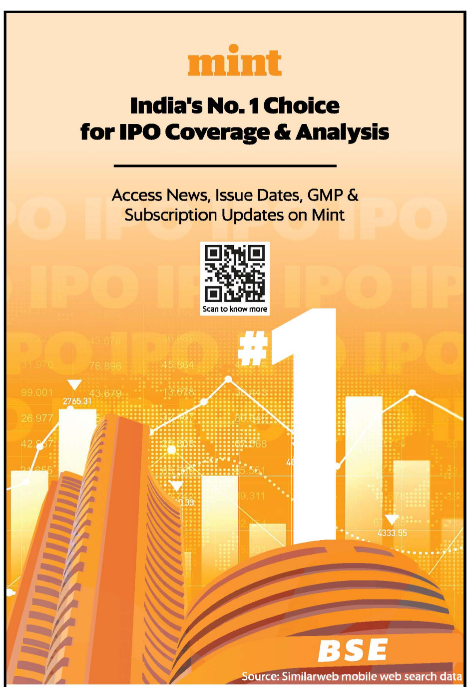

Jubilant Industries Limited
JUBILANT INDUSTRIES
CIN: L24100UP2007PLC032909
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,
District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India
Email : investorsjil@jubl.com; Website: www.jubilantindustries.com
Phone: +91-5924-267437

INFORMATION REGARDING 18TH ANNUAL GENERAL MEETING OF JUBILANT INDUSTRIES LIMITED

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circular issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circulars Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, and subsequent circulars issued in this regard including the latest one being 9/2023 dated September 25, 2023, ('MCA Circulars') and the Circular issued by Securities Exchange Board of India dated May 12, 2020, and subsequent circulars issued in this regard including the latest one being SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the 18th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of **Jubilant Industries Limited will be held on Monday, September 23, 2024 at 03:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2023-24 along with Report of the Board of Directors and the Auditors and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent / Depository Participants (DPs). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at **www.jubilantindustries.com** and on the websites of Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (**www.bseindia.com**) and National Stock Exchange of India Limited (**www.nseindia.com**). Further, Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for manner of participation and voting at the AGM has been provided in the Notice of AGM.

Process for registration of e-mail id is given below for those shareholders whose e-mail id is not registered:

a) In case shares are held in physical mode please provide folio no., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail at **investorsjil@jubl.com** or **rta@alankit.com**.

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID+CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) to **investorsjil@jubl.com** or **rta@alankit.com**. Further, the Members may also request to register/ update their e-mail addresses to their respective DPs.

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting at the AGM (including for members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses) has been provided in the Notice of AGM.

For Jubilant Industries Limited
Sd/-
Brijesh Kumar
Company Secretary
M. No. A36070

August 27, 2024
Gurugram

BSES BSES Rajdhani Power Limited, New Delhi
TENDER NOTICE Date: 28.08.2024

Sealed tenders are invited for Banking of power by BRPL from all bidders

NIT No.	Brief Item Description	Period	EMD Cost (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & Time of Opening
Head (PMG)/BRPL/Tender/2024 25/390 Date: 27.08.2024	BANKING OF POWER	16th Oct' 24 to 30th Sep' 25	Five Lakh	13.09.2024 at 15:00 HRS	13.09.2024 at 15:15 HRS

For further details please log on to http://www.bsesdelhi.com
Address: 2nd Floor, D-Block, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi
Head
(Power Management Group)

Regd. Off. : BSES Rajdhani Power Limited, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 | Corporate Identification No.: U40109DL2001PLC111527
Telephone No. : +91 11 4910 7235 | Website : www.bsesdelhi.com

CENTRAL RAILWAY
Nagpur Division
E-TENDER NOTICE
OPEN TENDER NOTICE No.
GSU-ENGG-2024-09 OF 23/08/2024

Name of work: Ballarshah-1. Augmentation of terminal facility of existing Goods shed at Ballaharshah with provision of additional full-Length goods shed line for dealing Goods shed traffic. 2. Drainage 3. Labour and merchant room. **Approximate cost:** Rs. 56075214.75/-, **Earnest Money:** Rs. 430400.00/-. Date & time of closing of tender 17/09/2024 at 15:00 hrs. Details on Railway's website www.ireps.gov.in

SUN 237 Sr. Divisional Engineer (GSU)

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

Delton Cables Limited
CIN: L31300DL1964PLC004255
Regd. Office : Delton House, 4801, Bharat Ram Road, 24, Darya Ganj, New Delhi -110002
Website : www.deltoncables.com, E-mail: cs@deltoncables.com, Tel: 0129-4523000

59TH AGM OF DELTON CABLES LIMITED TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO-VISUAL MEANS)

1. Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting ('AGM') of Delton Cables Limited (the 'Company') is scheduled to be held on Wednesday, September 25, 2024 at 10:30 a.m. through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with General Circular Nos 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 20/2021 dated June 08, 2021, 10/2021 dated June 23, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI Circular no. SEBI/ HO/CFD/CMD 2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular no. SEBI/ HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular no. SEBI/ HO/ CFD/ PoD-2/P/ CIR/ 2023/ 4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 without the physical presence of members at common venue, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of the AGM.
2. In Compliance with the aforesaid circulars, copies of the Notice of 59th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all the members whose email addresses are registered/available with the Depository Participants/RTA/Company. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrars and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd.; Telephone No: 91-11- 29961281, 82 and 83, Fax: 91-11-29961284, E-mail: investors@beetalfinancial.com, Website: www.beetalfinancial.com
3. The notice of AGM and the Annual Report will also available on the Company's website i.e. www.deltoncables.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE (www.bseindia.com) and on the CDSL Website: www.evotingindia.com
   However, the members may request a physical copy of Notice and Annual Report from the Company in case they wish to obtain the same by sending a request at cs@deltoncables.com
4. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the notice to the members.
5. In order to facilitate receipt of dividend directly through Electronic Clearing Services (ECS), members are requested to submit/update his/her bank account details with his/her Depository Participant, in case members holding shares in the electronic form.
   In case members are holding shares in the physical form, they are requested to furnish their email addresses, mobile numbers, bank account details for receipt of dividend and/or other details in ISR-1 and other relevant forms prescribed by SEBI, with the Company's Registrars and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi – 110 062, Telephone: 91-11- 29961281, 82 and 83, Email: beetal@beetalfinancial.com
6. The Notice of the 28th AGM will be sent to the members in accordance with the applicable laws on their email addresses shortly.
7. Tax on Dividend: Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct TDS from the dividend paid to the members at the prescribed rates in the Income Tax Act, 1961('the IT Act'). To enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and/or update their residential status, Permanent Account Number ('PAN') and Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company by submitting the required documents at cs@deltoncables.com to enable the Company to determine the appropriate TDS/withholding tax rate applicable, verify the documents and provide exemption, if any.

Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 Years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, members are requested to claim their dividend(s) from the Company, within the stipulated timeline.

For Delton Cables Limited
Sd/-
Vikas Rawat
Company Secretary & Compliance Officer

Place : New Delhi
Date : August 27, 2024

संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने लिया अहम फैसला, 517 स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा लाभ

संस्कृत विद्यार्थियों की 24 साल बाद बढ़ी छात्रवृत्ति

कैबिनेट फैसले

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। यह बढ़ोत्तरी 24 साल बाद की गई है। कैबिनेट ने वर्ष 2001 से लागू वर्तमान छात्रवृति दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 13 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

कक्षा छह व सात के छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्तिः माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उनके विभाग से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रथमा (कक्षा 6 एवं 7) के लिए 50 रुपये प्रतिमाह और मध्यमा (कक्षा 8) के लिए 75 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पूर्व मध्यमा (कक्षा 9 व 10) के लिए 100, उत्तर मध्यमा के लिए 150 रुपये, शास्त्री के लिए 200 रुपये एवं आचार्य के लिए 250 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 517 संस्कृत विद्यालय हैं, जहां विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

मंगलवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह।

डाटा सेंटर के एक ग्रिड का खर्च सरकार देगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर के लिए लगने वाले दो ग्रिड में एक ग्रिड का खर्च सरकार वहन करेगी। दूसरे ग्रिड का खर्च डाटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनी उठाएगी। कैबिनेट ने आईटी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। डाटा सेंटर पार्क में अन्य डाटा सेंटर इकाईयां भी होंगी। नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत एक ग्रिड की लागत की प्रतिपूर्ति विभाग तथा अन्य ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर पार्क द्वारा वहन की जायेगी।

कई स्थानों पर निवेश पर भी पूरा लाभ मिलेगा

लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले अल्ट्रा मेगा इकाईयों के लिए प्रोत्साहन का पिटारा खोले जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत यदि कोई कम्पनी प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 3000 करोड़ से अधिक का निवेश कर प्रोत्साहन चाहती है तो उसे कस्टमाइज पैकेज की सुविधाएं दी जाएंगी। जिसके तहत मेसर्स आवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा।

बड़े स्कूलों को पाठ्येत्तर कामों की छूट

लखनऊ। कैबिनेट ने प्रदेश के उन राजकीय इंटर कॉलेजों व राजकीय हाईस्कूलों की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों के विकास की अनुमति दे दी है, जिनके परिसर 10 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े हैं।

डिजिटल मीडिया पर अभद्र सामग्री देने पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए अपनी नीति तय कर दी है। इसके तहत फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एजेंसी व फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिये।

कैबिनेट ने मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत होल्डर/संचालक/ इन्फ्लूएंसर्स को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः पांच लाख, चार लाख, तीन लाख एवं दो लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। यूट्यूब पर वीडियो/ पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रु० 8.00 लाख, 7.00 लाख, 6.00 लाख एवं 4.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।

पाइपों के रखरखाव पर 4485 करोड़ रुपये हर साल खर्च

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजना के संचालन व रखरखाव के लिए 4485 करोड़ रुपये हर साल खर्च होंगे। इसमें 1553 करोड़ रुपये तो केवल बिजली पर बाकी अन्य मदों में खर्च होंगे।

कैबिनेट ने मंगलवार को "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024" को मंजूरी दे दी।

सड़क, सीवर, पेयजल आपूर्ति के कामों में और आएगी तेजी

लखनऊ। राज्य सरकार ने शहरों में सड़क, सीवर व पेयजल आपूर्ति की सुविधाओं के कामों में और तेजी लाने के लिए विकास शुल्क से मिले पैसों का बंटवारे की व्यवस्था बदल दी है। स्टांप एवं निबंधन विभाग के माध्यम से विकास प्राधिकरणों और निकायों को यह पैसा सीधे दिया जाएगा। स्टांप विभाग को हर साल विकास शुल्क के रूप में 1000 करोड़ रुपये से अधिक मिलते हैं। स्टांप मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि विभाग पहले विकास शुल्क वसूल कर सीधे प्राधिकरणों और निकायों को जारी करता था, लेकिन वर्ष 2013 में सपा सरकार में इस व्यवस्था को बदलते हुए यह अधिकार वित्त विभाग को दे दिया।

जेवर एयरपोर्ट, नोएडा के लिए 4795 हेक्टेयर भूमि और लेंगे

लखनऊ। राज्य सरकार ने गौतमबुद्धनगर में जेवर एयरपोर्ट और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) व यमुना विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिए पांच फीसदी से अधिक लेने का प्रतिबंध हटाते हुए 4795 हेक्टेयर भूमि लेने की अनुमति दे दी है। यह प्रतिबंध केवल गौतमबुद्धनगर के लिए हटाया गया है। राज्य सरकार गौतमबुद्धनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जेवर एयरपोर्ट बना रही है। इसके साथ ही नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत सरकारे विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसके लिए अभी तक 4.06 फीसदी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

प्रदेश 30S

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को जनसुनवाई की।

तय हो अफसरों की जवाबदेहीः केशव

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सात-कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस मौके पर उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

'आप' का प्रादेशिक सम्मेलन 13 को

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को अपने लखनऊ दौरे पर संगठन के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी का प्रादेशिक सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, महासचिव दिनेश सिंह पटेल व जिलाध्यक्ष इरम रिजवी, वरिष्ठ नेता नदीम जायसी मौजूद थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का भव्य पवेलियन बनेगा

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भव्य पवेलियन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिका इंडिया व यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सहभागिता करने जा रही है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क फेज 2 में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहे इन आयोजनों में पहले 11 से 13 सितंबर के बीच इलेक्ट्रॉनिका इंडिया का आयोजन होगा।

छह आईपीएस अफसरों को केन्द्र जाने की मंजूरी

लखनऊ। यूपी के छह आईपीएस अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र जाने की मंजूरी मिल गई है। इन अफसरों में राजा श्रीवास्तव, सलमान ताज पाटील, आशुतोष कुमार, विजय सिंह मीना, आशीष गुप्ता और रवि शंकर छवि शामिल हैं। ये अफसर जल्दी ही केन्द्र जाने के लिये यहां से कार्यमुक्त कर दिये जायेंगे।

परीक्षा केन्द्र पहुंचाने में 112 टीम सम्मानित

लखनऊ। गाजीपुर जिले में गलती से दूसरे परीक्षा केन्द्र पहुंची महिला अभ्यर्थी ने यूपी-112 पर फोन कर मदद मांगी। हेड कांस्टेबिल हेमंत सिंह, महिला सिपाही निर्मला प्रजापति व विभा प्रजापति ने महिला अभ्यर्थी को उसके परीक्षा केन्द्र पहुंचा दिया। एडीजी नीरा रावत ने इस टीम को पांच हजार रुपये पुरस्कार दिया है।

सहायक प्रशिक्षक खेल के लिए साक्षात्कार 7 से

लखनऊ। यूपीएसएसएससी खेल निदेशालय के अधीन सहायक प्रशिक्षक के 11 पदों पर भर्ती के लिए 7 से 21 सितंबर तक साक्षात्कार लेगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने मंगलवार कटऑफ जारी करते हुए कार्यक्रम घोषित किया है। तैराकी के लिए सात, बास्केटबाल चार, बॉक्सिंग पांच, जूडो एक, जिम्नास्टिक सात, खो-खो कबड्डी छह, ताइक्वांडो दो अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

लैटरल इंट्री की नियुक्तियां रद्द करने को ज्ञापन

लखनऊ। यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस ने 'लैटरल एंट्री' के जरिए नियुक्त हुए व्यक्तियों को पद से हटाने और उन्हें दिए गए वेतन की वसूली करने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि जब यह योजना ही रद्द की गई तो नियुक्तियां अवैध हो गईं।

सूदखोरों से त्रस्त परिवार ने जहर पीया, तीन की मौत

इटावा, संवाददाता। इटावा के सैफई में कर्ज में डूबे किसान परिवार ने सूदखोरों से त्रस्त होकर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। किसान, उसकी विधवा भाभी और मासूम भतीजी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन पर तीन लाख रुपये का कर्ज था। सूदखोर लगातार पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे। दयाशंकर (28) विधवा भाभी पूजा (30) व 13 महीने की मासूम भतीजी शिवि के साथ रहता था। दयायांकर की पत्नी अपनी बेटी के साथ मायके में ही रहती है। सोमवार दोपहर जब उसकी मां सरोज देवी पड़ोस में गई थी तभी दयाशंकर ने भाभी के साथ कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर पी लिया और मासूम को भी जहरीली कोल्ड ड्रिंक दे दी।

बिजली संविदाकर्मियों को ईएसआई का लाभ मिलना तय

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनियों में आउटसोर्स पर कार्यरत करीब 80 हजार संविदा कर्मियों को ईएसआईसी की सेवाएं व लाभ नहीं मिल पाने को गंभीरता से लिया है। आउटसोर्स एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक संविदाकर्मी को ईएसआई का लाभ हर हाल में मिलें यह सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों में ईएसआईसी की सेवाएं नहीं हैं वहां के कार्मिकों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी ली जाए।

जिससे विभागीय कार्य के दौरान किसी आउटसोर्स कर्मी की दुर्घटना हो जाए, अपंगता अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे और उसके परिवार को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने इस आशय का पत्र सभी वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भेजा है।

अनुपालन नहीं कर रही एजेंसियां: पत्र में लिखा है कि यूपीपीसीएल प्रबंधन के संज्ञान में आया है कि विद्युत दुर्घटना में घायल, अपंगता तथा संविदाकर्मी की मृत्यु होने ईएसआईसी द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ कार्मिक अथवा उसके परिवार को नहीं मिल पा रहे हैं। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा ईएसआईसी के प्राविधानों का समय से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

बिजली चोरी रोकने का अभियान चलाया जाएगा

लखनऊ। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने मंगलवार को समीक्षा बैठक करते हुए बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस फीडर से अधिक लाइन हानियां सामने आ रही हैं वहां विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस क्षेत्र में अधिक बिजली चोरी की आशंका हैं ऐसे क्षेत्रों में फीडर वार चिन्हित करें।

लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के आठ रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। इस संबंध में रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है।

जिन आठ स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, उनमें कासिमपुर हाल्ट, जायस, मिसरौली, बानी, निहालगढ़, अकबरगंज, वजीरगंज हाल्ट, फुरसतगंज शामिल हैं। डीआरएम एसएम शर्मा ने बताया कि पत्र प्राप्त हो गया है। जल्द ही बदलाव की अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बदलाव के मुताबिक अब कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को मां कालिकन धाम, बानी को स्वामी परमहंस धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का मां अहोरवा भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट का अमर शहीद भाले सुल्तान और फुरसतगंज का नाम तपेश्वरनाथ धाम कर दिया गया है।

फैक्ट्री की लिफ्ट टूटने से दो चचेरे भाइयों की मौत

खंदौली (आगरा)। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव नन्दलालपुर में स्नेक्स फैक्ट्री में मंगलवार की देर शाम माल ढोने की लिफ्ट टूटकर गिरने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। फैक्ट्री संचालक ने उनके परिजनों को हादसे की सूचना नहीं दी। एसएन हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों ने वहां हंगामा किया। आरोप है कि हादसे के बाद फैक्ट्री स्वामी भाग निकला।

इंजीनियरिंग छात्रा से रेप में एमटेक छात्र गिरफ्तार

आगरा, प्रमुख संवाददाता। इंजीनियरिंग छात्रा से दुराचार में नामजद जिस एमटेक छात्र शिवांश सिंह को पुलिस सोमवार तक निर्दोष बता रही थी मंगलवार को उसे ही गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि छात्रा ने जिस दिन दुराचार का आरोप लगाया उस दिन घटना नहीं हुई थी। जांच में उजागर हुआ कि लंबे समय तक आरोपित ने छात्रा का शारीरिक और मानसिक शोषण किया था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। पूरे मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस पहले पीड़िता को टहलाती रही। परेशान होकर पीड़िता ने जो किया उसने हर किसी को हिला दिया।

लखनऊ निवासी युवती विवि के खंदारी कैंपस से इंजीनियरिंग कर रही थी। 11 अगस्त को उसने सिकंदरा थाने में कैंपस में सीनियर रहे शिवांश सिंह के खिलाफ दुराचार का मुकदमा लिखा। आरोप लगाया कि चलती कार में उसके साथ दुराचार हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले।

पर्यटन विभाग के संगठन ढांचे में किया जाएगा बदलाव

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए योगी सरकार ने विभाग में संगठनात्मक पुनर्गठन का निर्णय लिया है। इसके तहत निदेशक पर्यटन सहित कुल 100 पदों को सृजित किया जाएगा, जबकि कुछ पदों का उच्चीकरण तो कुछ अनुपयोगी पदों को खत्म किया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम के अनुसार, संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत निदेशक पर्यटन का एक पद सृजित होगा। निदेशक पर्यटन (ईको टूरिज्म) का भी एक पद सृजित किया जाएगा।

बसपा दूसरे राज्यों में करेगी विस्तार

लखनऊ, विशेष संवाददाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेशवार प्रभारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। आकाश आनंद के साथ ही अशोक सिद्धार्थ का कद बढ़ा है। भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा है। मायावती ने दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी है। इन प्रदेश के नए प्रभारियों की देखरेख में राज्यों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। मायावती ने बैठक में फिर साफ किया है कि भाजपा, कांग्रेस व सपा से गठबंधन नहीं किया जाएगा, लेकिन छोटे दलों के साथ गठबंधन के संकेत उन्होंने दिए हैं।

झारखंड में रामजी गौतम व गया चरण दिनकर, राजस्थान अशोक सिद्धार्थ, मध्य प्रदेश रामजी गौतम व चंद्रपाल को लगाया गया है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में रामजी गौतम, केरल व तमिलनाडु का अशोक सिद्धार्थ व नितिन सिंह को प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में रामगौतम के साथ अतर सिंह राव को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अशोक सिद्धार्थ को लगाया गया है। मायावती ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस ने आपस में मिलकर आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया है। इनकी सरकारों में बैकलाग के खाली पड़े पदों को भी नहीं भरा जा रहा है। इनका व इनके सहयोगियों का रवैया बसपा के प्रति षड़यंत्रकारी बना हुआ है।

असीम संभावनाएं

बसपा अध्यक्ष ने यूपी के राजनीतिक हालात पर कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम किसी पार्टी विशेष के पक्ष में एकतरफा नहीं रहा है। इसलिए कॉडर के आधार पर जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करके आगे बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। बहुजनों को केवल जोड़ना ही नहीं बल्कि उन्हें पार्टी व मूवमेंट से लगातार जोड़े रखने की भी सख्त जरूरत है।

कमजोर करने में लगे कई दल

मायावती ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के साथ इनकी सहयोगी पार्टियां बसपा को कमजोर करने में लगी हैं।

महिला चिकित्सक से दुष्कर्म धर्म परिवर्तन का आरोप

बुलंदशहर, संवाददाता। अनूपशहर क्षेत्र की महिला बीएएमएस डॉक्टर ने अस्पताल संचालक पर धोखे से मदरसे में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पीड़िता को उसके भाई की हत्या करने की धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराते हुए कलमा और नमाज पढ़ाकर निकाह करने पर मजबूर किया गया। पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने पर उसकी हत्या की साजिश की जाने लगी, जिस पर उसने भागकर जान बचाई।

मूलरूप से वाराणसी निवासी पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह बीएएमएस डॉक्टर है और 15 मई 2022 से अनूपशहर में ही एक चिकित्सक के यहां नौकरी कर रही है। 10 फरवरी को आरोपी चिकित्सक ने उसे एक अस्पताल में सर्जरी के लिए साथ ले गया। लौटते समय आरोपी उसे जबां बरैल गांव स्थित मदरसे में ले गया और धोखे से नशीला पदार्थ पिला दिया।

हरियाणा में चंद्रशेखर ने चौटाला से हाथ मिलाया

मेरठ/सहारनपुर, हिटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और जननायक जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व सांसद चंद्रशेखर और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन की घोषणा की। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान मंगलवार को नई दिल्ली में हुई प्रेस कांफ्रेंस में किया गया।

कार्यालयः प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर उ0प्र0-284403

Email:agmclalitpur@gmail.com www.asmclalitpur.org

पत्रांक- ए0एस0एम0सी0/ललितपुर/फेकल्टी-विज्ञापन/2024-25/1138 दिनांकः- 27.08.2024

संकाय सदस्यों के नियमित सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर के विभिन्न विशिष्टिताओं में आर्चाय-13 पद, सह-आचार्य-19 पद एवं सहायक आचार्य-25 नियमित पदों पर नियुक्ति (पदों एवं श्रेणी की संख्या घट या बढ़ सकती है) हेतु आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 03.09.2024 के सायं 05 बजे तक है। विस्तृत सूचना एवं रिक्त पदों की श्रेणी एवं अन्य विवरण इस कार्यालय के विज्ञापन संख्या-ए0एस0एम0सी/ललितपुर/नियमित फेकल्टी/विज्ञप्ति/2024-25/1137 दिनांक-27.08.2024 के अनुसार ही मान्य होगी जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट www.asmclalitpur.org पर उपलब्ध है।

डॉ0 (प्रो0) द्विजेन्द्र नाथ
प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
ललितपुर।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
8वीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
टेली : 2618 9709

CERC सत्यमेव जयते

केविविआ में स्टाफ परामर्शदाताओं की नियुक्ति

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संविदा आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहयोगी के स्तर पर स्टाफ परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :

प्रभाग	रिक्तियों की संख्या		
	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	अनुसंधान अधिकारी	अनुसंधान सहयोगी
वित्त प्रभाग	-	01	03
विनियामक मामले प्रभाग	01	02	-

2. कृपया विस्तृत अर्हताओं एवं अपेक्षित अनुभव तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के ब्योरों के लिए केविविआ की वेबसाइट www.cercind.gov.in देखें।
3. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रोफार्मा में अपने आवेदन उप प्रमुख (प्रशासन) को उपरिलिखित पते पर दिनांक 16 सतम्बर, 2024, सायं 5.00 बजे तक भेज सकते हैं।

(राजीव कुमार)
उप प्रमुख (प्रशासन)

JUBILANT INDUSTRIES

जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L24100UP2007PLC032909
पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, ज़िला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश
ईमेलः investorsjil@jubl.com; वेबसाईटः www.jubilantindustries.com
फोनः +91-5924-267437

जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 18वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 20/20 दिनांकित 5 मई, 2020 एवं इस संबंध में पश्चात् जारी प्रासंगिक परिपत्रों, नवीनतम 9/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 ('एमसीए परिपत्रों') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 12 मई, 2020 को निर्गत परिपत्र एवं इस संबंध में पश्चात् जारी प्रासंगिक परिपत्रों, नवीनतम SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्रों' के तौर पर संदर्भित) के अनुपालन में **जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को 3:00 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु संगणित किया जाएगा।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित (सामूहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) कम्पनी के उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा जाएगा जिनका ईमेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantindustries.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में सम्मिलित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने हेतु निर्देश एवं भाग लेने की प्रणाली एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया गया है।

उन शेयरधारकों, जिनका ई–मेल पता पंजीकृत नहीं है, ई–मेल पता के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

अ) यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे एवं पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) investorsjil@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर ई–मेल द्वारा भेजें।

आ) यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (16–अंकीय डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16–अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) investorsjil@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर भेजें। इसके अतिरिक्त, सदस्य अपने संबंधित डीपी से अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने हेतु अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से भी वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया (उन सदस्यों जो भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करते हैं या जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है सहित) एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

कृते जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ताक्षर
बृजेश कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्याः 36070

27 अगस्त, 2024
गुरुग्राम